बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक–6/प्रा0आ0–112/10–618 पटना, दिनांक– 29/2/12

प्रेषक : रबीन्द्र पवांर

अत्यावश्यक

प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, (यांत्रिक सहित)

विषयः– ग्राम/टोलावार 'चापाकलों की स्थिति' (Status of Hand Pumps) तथा अन्य ग्रामीण पाईप्ड पेयजलापूर्ति योजनाओं की स्थिति (Status of other rural piped water supply schemes), एवं आगामी गर्मी के दौरान पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु 'आकस्मिक योजना' (Contingency Plan) तैयार करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गत् वर्ष गर्मी के मौसम में राज्य के दक्षिण भाग के जिलों के कुछ क्षेत्रों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इस समस्या से निपटने हेतु जिलावार **आकस्मिक योजना (Contingency Plan) तैयार** की गई थी। इस वर्ष भी **गर्मी के मौसम** में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु तुरंत तैयारी करने की आवश्यकता है, ताकि कहीं भी पेयजल की समस्या उत्पन्न न होने पावे। गत् वर्ष गर्मी के मौसम में जिन **गाँवों/टोलों** में पेयजल की समस्या उत्पन्न हुई थी, उन गांवों/टोलों में प्राथमिकता के आधार पर **चापाकलों का निर्माण** तथा पूर्व से अधिष्ठापित एवं खराब पड़े चापाकलों की भरम्मति कराये जाने की आवश्यकता है। साथ ही **प्रत्येक जिला में पेयजल की समस्या से ग्रस्त गाँवों/टोलों** अथवा संभावित गाँवों/टोलों के लिए **आकस्मिक योजना** तैयार किये जाने की आवश्यकता है। आकस्मिक योजना में पेयजल समस्याग्रस्त गाँवों/टोलों (संभावित सहित) के लिए प्रस्तावित किये जाने वाले कार्य **सर्वेक्षण** एवं **आवश्यकता** पर आधारित होना चाहिए। इस हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्रवाई अपेक्षित है :–

- जिला/प्रमण्डल स्तर **पर भू–जल स्तर की मोनेटरिंग** नियमित रूप से आवश्यक है। अतः हर जिला में **प्रत्येक प्रखण्ड** के **5–5 चापाकलों के भू–जल स्तर की मापी साप्ताहिक रूप** से ली जाय एवं संकलित सूचना मुख्यालय को **फैक्स/ई–मेल** के माध्यम से अगले सप्ताह के **प्रत्येक सोमवार** को भेजना सुनिश्चित करें। 5 चिन्हित चापाकलों का चयन इस प्रकार किया जाय कि उससे पूरे प्रखण्ड के भू–जल स्तर की जानकारी हो सके। **प्रखण्डवार चिन्हित 5 चापाकलों के** ही भू–जल स्तर की नियमित मोनेटरिंग की जाय।

- प्रत्येक गाँव/टोला में अवस्थित सरकारी/संस्थागत चापाकलों की संख्या, उनके प्रकार तथा इनके कार्यरत अथवा अकार्यरत रहने की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है, ताकि **प्रत्येक गाँव/टोला** में पेयजलापूर्ति की सही स्थिति की जानकारी मिल सके। इस हेतु **प्रत्येक गाँव/टोला में 'पेयजल की व्यवस्था हेतु पेयजल स्रोतों की स्थिति का सघन सर्वेक्षण किया जाय** एवं इस संबंध में प्रतिवेदन **परिशिष्ट– I** के रूप में संलग्न प्रपत्र में **दिनांक– 20.03.2012** तक समर्पित किया जाय।

- प्रत्येक जिला में **ऐसे गाँव/टोलों** तथा शहरी क्षेत्र में अवस्थित **वार्ड** की पहचान कर ली जाय, जहाँ पेयजल की समस्या संभावित है। ऐसे गाँव/टोला तथा शहरी क्षेत्र के वार्ड में पेयजल की आपूर्ति बनाये रखने हेतु **टैंकर** अथवा **ट्रैक्टर पर पानी टंकी रखकर उसके माध्यम से** ढुलाई कर पेयजलापूर्ति हेतु **योजना, 'रूट चार्ट' के** साथ, शीघ्र तैयार कर लें तथा इस योजना एवं रूट चार्ट पर **जिला पदाधिकारी** का अनुमोदन प्राप्त कर लें। टैंकर अथवा ट्रैक्टर पर पानी टंकी रखकर उसके माध्यम से ढुलाई कर पेयजलापूर्ति हेतु आवश्यक सूचनायें **परिशिष्ट– II** एवं **III** के रूप में संलग्न प्रपत्रों में दी जाय।

- **टैंकर** अथवा ट्रैक्टर पर पानी टंकी रखकर उसके माध्यम से ढुलाई कर पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु **पी0भी0सी0 टैंक, पेयजल स्रोत की पहचान,** सबरसिबल पम्प एवं अन्य सामग्रियों/अनुषांगिक कार्यों के लिए व्यवस्था कर ली जाय।

- विभिन्न जिलों में गत् वर्ष **'आकस्मिक योजना'** के अन्तर्गत पी0भी0सी0 टैंक, सबमरसिबल पम्प एवं अन्य **सामग्रियों** का व्यवस्थापन किया गया था। **'आकस्मिक योजना'** में उसका उल्लेख करते हुए **शेष सामग्रियों की आवश्यकता का आकलन** कर स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

- **क्षेत्रीय मुख्य अभियंता** अपने क्षेत्र के अन्तर्गत जिलावार **आकस्मिक योजना (Contingency Plan)** गत् वर्ष की भाँति **अपनी देख–रेख में बनवायेंगे**, तथा मुख्यालय को **20.03.2012** तक मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर कार्रवाई कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं तद्नुसार प्रतिवेदन मुख्यालय को **ससमय** उपलब्ध करावें।
अनु0– यथोपरि।

विश्वासभाजन

29.2.12
(रबीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 6 / प्रा0आ0–112 / 10– 618 पटना, दिनांक– 29/02/12

प्रतिलिपि– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया अपने अधीनस्थ **कार्य प्रमण्डलों** का भ्रमण कर एवं कार्यपालक अभियंताओं / अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों / कर्मियों के साथ इस प्रयोजन हेतु शीघ्र बैठक कर **निर्धारित समय सीमा** के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करवायें।

29.2.12

(रबीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 6 / प्रा0आ0–112 / 10– 618 पटना, दिनांक– 29/2/12

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.2.12

(रबीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव

परिशिष्ट– I

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

सरकारी/संस्थागत चापाकल/पाईप जलापूर्ति योजना/अन्य पेयजल स्रोत की स्थिति

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल का नाम – .... जिला– .... प्रखण्ड का नाम– ....

पंचायत का नाम	ग्राम/टोला का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार आबादी	निर्मित चापाकलों के प्रकार की संख्या एवं वर्तमान स्थिति										पाईप जलापूर्ति योजना की स्थिति				अकार्यरत (बंद) चापाकलों को कार्यरत (चालू) करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई				उपलब्ध पारम्परिक जल स्रोत/कुआँ की संख्या एवं उसकी स्थिति	अधिक गहराई वाले चापाकल की आवश्यकता	बंद पाईप जलापूर्ति योजनाओं को चालू करने की आवश्यकता	विभागीय मापदण्ड के आलोक में पेयजल स्रोत की अतिरिक्त आवश्यकता (अगर हो)	अभ्युक्ति
			साधारण चापाकल		स्पेशल चापाकल		इण्डिया मार्क– II/III		अन्य प्रकार के चापाकल		कुल चापाकल		मिनी पाईप जलापूर्ति योजना		पाईप जलापूर्ति योजना										
			कार्यरत	बंद	कार्यरत	बंद	कार्यरत	बंद	कार्यरत	बंद	कार्यरत	बंद	कार्यरत	बंद	चालू	बंद	साधारण मरम्मति	विशेष मरम्मति	राईजर पाईप बढ़ाना/बदलना	पुराने के बदले नया चापाकल की आवश्यकता					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर

परिशिष्ट– II

Government of Bihar

Water Supply through Transportation : **Name of District :**

Sl. No.	Name of Block	Name of Panchayat	Name of Village/Tola	Population					Water Demand (KL/Day)	Nos. of Tankers/PVC tanks to be used with capacity	No. of Trips	Time of Water Supply	Mode of Transportation	No. of PVC tanks to be installed in the villages.	Type & Capacity of Container	Total Quantity of Water Supplied (KL/Day)	Water Source Govt./Pvt.	Remarks
				SC/ST	BC	Minority	General	Total										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

परिशिष्ट– III

Name of District.-

Name of P.H. Division:-

Sl. No.	Name of Block	Name of water source	Covered panchayat	ROUTE CHART (list of Habitations in serial order with name of village to be indicated to be attached)	Type of water source (tube well/minor irrigation well etc.)	Name of water in charge	Type of vehicle	Capacity of water tank/Deptt. Tanker (in ltrs.)	Distance of route (in K/M)	Time taken to complete the route	Cost of one trip	Route chart nos. (attached)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14